Entry 151

(143)

3-14

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, शिविर, भोपाल

निगरानी 693-PBR-15 प्रकरण क्रमांक

हरिसिंह आ० श्री नन्हेसिंह निवासी ग्राम गेहूंरास,

तहसील बेगमगंज जिला रायसेन(म०प्र०) ------- निगरानीकर्त्ता

विरुद्ध

Entry 151

१- सरदारसिंह आ० श्री गंधर्वसिंह,

२- शिवसिंह आ० श्री गंधर्वसिंह,

३- रामसिंह आ० श्री गंधर्वसिंह,

४- महाराज आ० श्री गंधर्वसिंह,

क्रमांक १ से ४ निवासीगण ग्राम गेहूंरास,

तहसील बेगमगंज जिला रायसेन(म०प्र०)

५- श्रीमति गोमतीबाई पत्नी श्री ~~ठकककक~~ मेहताबसिंह निवासी ग्राम पढा ~~ककककक~~ तहसील व जिला सागर(म०प्र०)

CF 25-4-15

६- श्रीमति हरबाई पत्नी श्री रामजी निवासी ग्राम बरोदा तहसील व जिला सागर,

७- रामगोपालसिंह दांगी आ० श्री सूरजसिंह,

८- बुन्देलसिंह आ० श्री कल्याणसिंह,

९- शिवसिंह दांगी आ० श्री कल्याणसिंह

क्रमांक ७ से ९ तक निवासीगण ग्राम गेहूंरास

तहसील बेगमगंज जिला रायसेन (म०प्र०)

१०- मूरीबाई पत्नी श्रीभगवानसिंह निवासी ग्राम गोरखी तहसील बेगमगंज जिला रायसेन,

११- मोहरबाई पत्नी श्री रामजीसिंह निवासी ग्राम घोनोरा तहसील राहतगढ़ जिला सागर,

१२- गोपीबाई पत्नी श्री गोदानसिंह निवासी ग्राम कैसली तहसील कैसली जिला सागर,

१३- कुसुमबाई पत्नी श्री राजाराम निवासी मकरोनिया तहसील व जिला सागर,

१४- कन्हेदी आ० श्री नन्दा , १५- हरिराम आ० श्री छुट्टा,

१६- मोहनलाल आ० श्री छुट्टा, १७- लक्ष्मीबाई पुत्री हल्कू

१८- प्रभु आ० श्री हल्कू, १९- कुंदन आ० श्री हल्कू,

क्रमांक १४ से १९ निवासीगण ग्राम गेहूंरास,

तहसील बेगमगंज जिला रायसेन (म०प्र०)---प्रतिनिगरानीकर्त्तागण

म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा ५० के अन्तर्गत निगरानी

महोदय,

निगरानीकर्त्ता द्वारा विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, बेगमगंज जिला रायसेन के प्रकरण क्रमांक ६।अ-६।१३-१४ में पारित आदेश दिनांक ७-३-१४ से असंतुष्ट एवं दु:खित होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

---०००---

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मढिया की भूमि खसरा क्रमांक ७, १० कुल किता कुल रकबा २१-३७ एकड़ प० ह०नं- ७ की नामांतरण पंजी क्रमांक ३ आदेश दिनांक २१-८-११ पर सहमति के आधार पर हुए नामांतरण के विरुद्ध एक समय सीमा बाह्य अपील प्रतिनिगरानीकर्त्ता क्रमांक १ से ६ तक द्वारा प्रस्तुत की गई जिसके साथ धारा ५ का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका निगरानीकर्त्ता द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जिसको अस्वीकार करते हुए धारा ५ का आवेदन स्वीकार किया गया।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

:: निगरानी के आधार ::

१- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि, विधान एवं प्रक्रिया के विपरित होकर निरस्ती योग्य है।

२- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा ५ पर सुनवाई करने के पूर्व सभी पक्षों को सुने बिना ही एवं सूचना पत्र जारी किए बिना ही धारा ५ स्वीकार कर वैधानिक भूल की है।

३- यह कि प्रतिनिगरानीकर्त्ता ने अपने धारा ५ के आवेदन में किस प्रकार आदेश की जानकारी हुई कहीं भी स्पष्ट नहीं किया मात्र आवेदन में लिखा है कि दिनांक २१-१-१४ को नकलआवेदन पेश किया उसी दिनांक अपील पेश कर दी जो कि संभव नहीं है, इसकेबाद भी अवैध

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 693-पीबीआर/2015 जिला रायसेन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो। उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	